प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

1. सुमनदेवी पत्नि मदनसिह जाति राजपूत निवासी नगराना तहसील संगरिया।

1. बिरजू सिह पुत्र रावतसिह जाति राजपूत निवासी नगराना तहसील संगरिया हाल आवाद चक 10 केडब्ल्यु भाखरावाला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

प्रार्थीया

तहसीलदार राजस्व, संगरिया जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थीया

—:आदेश:—

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के नाम चक 6 एनजीआर ज.स. 2072–2075 में 1.999 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीया के कब्जा काश्त की भूमि चक नं. 6 एनजीआर के खाता संख्या 23/53 के प.न. 170/221 मु.न. 46 किला नं. 17, 22/1,23/1, 23/1 में आने–जाने के लिए अर्थात आवागमन के लिए कोई मन्जूर शुदा रास्ता नहीं है जिसकी वजह से प्रार्थीया अपनी आराजी में सही ढ़ंग से काश्त नहीं कर सकती प्रार्थीया को अपनी आराजी में आने–जाने के लिए तथा अपनी आराजी को काश्त करने के लिए मन्जूर शुदा रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थीया, अप्रार्थी के नाम से दर्ज कृषि भूमि में से चक 6 एनजीआर पं.नं. 170/221 मु.नं. 46 के किला नं. 21/2 मे 0.025 है. किला नं. 1 से चिपता दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता एवं किला नं. 22/2 में 0.012 है. किला नं. 2 व किला नं. 21 से चिपता रास्ता दक्षिण की और एवं चक नं. 6 एनजीआर के प.न. 169/221 के किला नं. 25/2 में 0.012 है. किला नं. 5 व किला नं. 21 से चिपता दक्षिण दिशा में रास्ता स्वीकृत कर इसी अनुसार चालु करवाना चाहती है। ताकि प्रार्थीया अपनी भूमि में आवागमन कर उसे काश्त कर सके।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 389 दिनांक 04.07.2024 द्वारा पक्षकार आपस मे सहमत नही होना व प.न. 170/221 मु.न. 46 के किला नं. 21/2 में गै.मु. खाला दर्ज कागजात पटवार है उक्त रकबा सेग्रीगेशन की जमाबन्दी तैयार होने से पूर्व खसरा सं. 94/6 का हिस्सा रहा है एव खसरा नं. 94/6 का कुल रकबा तत्समय राजस्व अभिलेखागार गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज था। पुराने नक्शो को देखने से स्पष्ट है कि उक्त खसरा सं. का रकबा प.न. 170/221 मु.न. 46 के किला नं. 21,22,23,24 व प.न. 169/222 मु. न. 48 के किला नं. 4 व 5 से संबंधित है एव गै.मु.रास्ता है। सेग्रीगेशन पद्वति से जमाबन्दी बनाते समय उक्त खसरा को प.न मु.न. किला नं. में विभक्त किया गया किजसमें सहवन से गै.मु. रास्ताा की जगह गै.मु. खाला अंकित हो गया है अर्थात प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तावित प.न. 170/221 मु.न. 46 के किला नं. 21/2 में गै.मु. खाला की बजाय गै.मु. रास्ता किया जाना प्रस्तावित है एवं प.न. 169/221 मु.न. 45 के किला नं. 25/1 व 25/2 के रकबा में नवीन रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की गई।

अतः हमारी राय में प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता ही उपर्युक्त है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 6 एनजीआर के प.न. 170/221 मु.न. 46 के किला नं. 21/2 में गै.मु. खाला की बजाय गै.मु. रास्ता दर्ज किया जाना एवं प.न. 169/221 किला नम्बर 25/2 में 0.012 है. किला नं. 5 व किला नं. 21 से चिपता दक्षिण दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि प्रार्थीया की कृषि भूमि चक 6 एनजीआर में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक 6 एनजीआर के प.न. 169/221 किला नम्बर 25/2 में 0.012 है. किला नं. 5 व किला नं. 21 से चिपता दक्षिण दिशा रास्ता डीएलसी की 2 गुणा राशि 15 दिवस में तहसील कार्यालय में नियमानुसार जमा करवाये एवं राशि जमा करवाये जाने के बाद प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत शुमार समझा जावे और इसका अंकन गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर चालू करवाया जावें तथा चक 6 एनजीआर के प.न. 170/221 मु.न. 46 के किला नं. 21/2 में गै.मु. खाला की बजाय गै.मु. रास्ता दर्ज किया जाकर शुद्व किया जावे। अप्रार्थी को जमा राशि का भुगतान उनके कब्जे अनुसार भू.अ.निरीक्षक की उपस्थिति में हल्का पटवारी द्वारा किया जाना सुनिशिचित करावे, तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 16.5.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया